

कार्यालय, आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
:: संचालनालय ::

ब्लॉक-डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

क्रमांक / आदियो 0 / 04 / 2020-21 / ५५३५

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6/10/2020

डॉ० भंवर सिंह पोर्ट, आदिवासी सेवा सम्मान
वर्ष 2020 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन

—०—

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसी एक स्वैच्छिक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डॉ० भंवर सिंह पोर्ट, की स्मृति में प्रदेश स्तर का सम्मान स्थापित किया गया है। इस हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं से वर्ष 2020 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित हैं।

2. सम्मान का स्वरूप :-


उक्त सम्मान के अंतर्गत रूपये दो लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति पटिटका दी जाएगी।

3. आवेदन / प्रविष्टियां भेजने की समयावधि :-

3.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र / प्रविष्टियां, समाज सेवी संस्था द्वारा बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा दिनांक 20.10.2020 कार्या० समय सांयो 5.00 बजे तक आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक-डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त तिथि को निर्धारित समयावधि पश्चात, प्राप्त प्रविष्टि / आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। डाक संबंधी विलंब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

3.2 योजना नियम की प्रति विभागीय वेबसाईट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।

3.3 प्रविष्टियां / आवेदन पत्र के लिफाफे पर “डॉ० भंवर सिंह पोर्ट, आदिवासी सेवा सम्मान वर्ष 2020” अंकित होना चाहिए। इस हेतु नियम एवं शर्ते विभागीय वेबसाईट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।



आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

डॉ० भंवर सिंह पोर्ट, आदिवासी सेवा सम्मान
वर्ष 2020 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन की नियम एवं शर्तें।

—०—

4. प्रविष्टियां/आवेदन के मापदण्ड

सम्मान के लिए प्रविष्टियां/आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते हैं :—

1. संस्था का पूर्ण परिचय
 2. आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के लिए संस्था द्वारा किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी ।
 3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण ।
 4. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)
 5. आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य ।
 6. संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण पत्र ।
 7. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में संस्था की सहमति ।
 8. जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था के कार्यों के प्रत्यक्ष आंकलन के संबंध में सहमति ।
 9. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी ।
 10. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं हैं।
 11. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
 12. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा । इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा ।
- 5. संस्था को आवेदन में इस आशय की अण्डरटेकिंग देना होगा कि ज्यूरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा संस्था के कार्य का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। तथा इस हेतु वे (संस्था) सहमत हैं। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।**

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छोगो)